

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान हेतु राशि ₹ 102.57 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,02,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने हेतु राशि ₹ 2800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ₹ 28,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित शालाओं के प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के वेतन के अंतर की राशि हेतु राशि ₹ 1327.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मॉडल स्कूलों का पी.पी.पी.मोड पर संचालन हेतु ₹1100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ₹ 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत 76 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन हेतु राशि ₹ 1117.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । संस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	जिला	वि.खं.	विद्यालय का नाम
1	बस्तर	बस्तर	शा.पू.मा.शा.देवता (एस.एस.ए)
2	बस्तर	बस्तर	शा.पू.मा.शा.पखनाकौगेरा (एस.एस.ए)
3	बस्तर	बस्तर	शा.पू.मा.शा.कुदकानार
4	बस्तर	तोकापाल	शा.पू.मा.शा.आराकोट
5	बस्तर	तोकापाल	शा.पू.मा.शा.घाटधनोरा
6	बिलासपुर	पेण्ड्रा	शा.पू.मा.शा.अमारू (टी.डब्ल्यू.डी)
7	बिलासपुर	कोटा	शा.पू.मा.शा. रतखांडी
8	बिलासपुर	कोटा	शा.पू.मा.शा. खैरा
9	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	शा.पू.मा.शा. भोगमा
10	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	शा.पू.मा.शा. कावड़ागांव
11	दन्तेवाड़ा	गीदम	शा.पू.मा.शा. मडसे
12	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	शा.पू.मा.शा. कुम्हाररास
13	जशपुर	बगीचा	शा.पू.मा.शा. भड़िया
14	जशपुर	दुलदुला	शा.पू.मा.शा. चटकपुर
15	जशपुर	फरसाबहार	शा.पू.मा.शा. सगजोर
16	जशपुर	जशपुर	शा.पू.मा.शा. लुईकोना
17	कोण्डागांव	कोण्डागांव	शा.पू.मा.शा. जोबा
18	कोण्डागांव	कोण्डागांव	शा.पू.मा.शा. ईरला
19	कोरबा	कटघोरा	शा. बालक पू.मा.शा. दर्री
20	कोरबा	कटघोरा	शा.पू.मा.शा. विजयनगर
21	कोरबा	कटघोरा	शा.पू.मा.शा. बरेली
22	कोरबा	कटघोरा	शा.पू.मा.शा. कतशिरा
23	कोरबा	कोरबा	शा.पू.मा.शा. बुंदेली

24	कोरबा	कोरबा	शा.पू.मा.शा. फुलसेरी
25	कोरबा	कोरबा	शा.पू.मा.शा. चिरा
26	कोरबा	करतला	शा.पू.मा.शा. बडमार
27	कोरबा	पाली	शा.पू.मा.शा. सपलवार
28	कोरबा	पाली	शा.पू.मा.शा. पोटापानी
29	कोरबा	पाली	शा.पू.मा.शा. हरनमुडी
30	कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	शा.पू.मा.शा. तनेरा
31	कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	शा.पू.मा.शा. सेमरा
32	कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	शा.पू.मा.शा. पाली
33	कोरबा	करतला	शा.पू.मा.शा. पीडिया
34	सरगुजा	लखनपुर	शा.पू.मा.शा. राजपुरी
35	सरगुजा	उदयपुर	शा.पू.मा.शा. चैनपुरी
36	सरगुजा	बतौली	शा.पू.मा.शा.सरमना
37	सरगुजा	अम्बिपुर	शा.पू.मा.शा. फतेहपुर
38	सरगुजा	लुण्डा	शा.पू.मा.शा.डोंडागांव
39	सरगुजा	लखनपुर	शा.पू.मा.शा.पोंडी
40	सरगुजा	उदयपुर	शा.पू.मा.शा.सयार
41	सरगुजा	लुण्डा	शा.पू.मा.शा. पतौरा
42	सरगुजा	लुण्डा	शा.पू.मा.शा. सिलसिला
43	सरगुजा	लुण्डा	शा.पू.मा.शा. चेरमुण्डा
44	सरगुजा	लखनपुर	शा.पू.मा.शा. जयपुर
45	सरगुजा	लखनपुर	शा.पू.मा.शा.लैगा लैगा
46	सरगुजा	लखनपुर	शा.पू.मा.शा. डांडकेसरा
47	सरगुजा	मैनपाट	शा.पू.मा.शा. उरेंगा

पोटा केबिन जिसका उन्नयन हाईस्कूल में किया गया है।

क्र	जिला	वि.खं.	विद्यालय का नाम
1	बीजापुर	बीजापुर	नैमेड
2	बीजापुर	बीजापुर	गंगलूर
3	बीजापुर	बीजापुर	चिनकावाली
4	बीजापुर	भोपालपटनम्	मददेड़
5	बीजापुर	भोपालपटनम्	चांदुर
6	बीजापुर	भैरमगढ़	कोदोली
7	बीजापुर	भैरमगढ़	केशकुतुल
8	बीजापुर	भैरमगढ़	करकेली
9	बीजापुर	भैरमगढ़	चिहका
10	दन्तेवाड़ा	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा
11	दन्तेवाड़ा	कटेकल्याण	सुरनार
12	दन्तेवाड़ा	कटेकल्याण	मोखपाल
13	दन्तेवाड़ा	गीदम	जावंगा
14	दन्तेवाड़ा	गीदम	बडे तमनार
15	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	गोदरे
16	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	बालूद
17	नारायणपुर	आबूझमांड (ओरछा)	ओरछा
18	सुकमा	सुकमा	सुकमा
19	सुकमा	सुकमा	कुदमेलपारा
20	सुकमा	सुकमा	गादीरास

21	सुकमा	कोन्टा	कोन्टा
22	सुकमा	कोन्टा	गोलापल्ली
23	सुकमा	कोन्टा	चिंतागुफा
24	सुकमा	छिंदगढ़	रोकेल
25	सुकमा	छिंदगढ़	छिंदगढ़

4 कन्या पूर्व माध्य. शालाओं का उन्नयन हाईस्कूल में किया गया है।

क्र	जिला	वि.खं.	विद्यालय का नाम
1	बस्तर	बस्तर	शा.उच्च.प्राथ.शाला के.जी.बी. व्ही.बस्तर
2	बस्तर	तोकापाल	शा.उच्च.प्राथ.शाला मोरठापाला तोकापाल के.जी.बी. व्ही.
3	बस्तर	बस्तानार	शा.उच्च.प्राथ.शाला बस्तानार के.जी.बी. व्ही.
4	नारायणपुर	नारायणपुर	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नारायणपुर

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 6

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में निवासरत छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राशि ₹ 1122.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ₹ 11,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 7

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु राशि ₹ 38.88 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ₹ 38,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद कर्मांक 8

जिला चिकित्सालयों में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु ₹ 180.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 9

स्व0 श्री बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 10

चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु ₹ 120.13 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

समर्पित किये जाने वाले पद				सृजित किये जाने वाले नवीन पद		
क्र	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	नवीन पद	वेतनमान	पद संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000+GP1000	01	सह प्राध्यापक	37400-67000+GP9000	03
2	ट्यूटर	15600-39100+GP 5400	03	सहायक प्राध्यापक	15600-39100+GP 7000	06
3	सीनियर रेसीडेंट	15600-39100+GP 5400	06	जूनियर रेसीडेंट	15600-39100+GP 5400	03
	योग		10			12

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 11 से 12

राज्य बीमारी सहायता निधि (संजीवनी) हेतु ₹ 750.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 13 से 14

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ₹ 19000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 15

विश्व बैंक सहायित इस्निप परियोजना के पुनर्गठन के फलस्वरूप व्यावसायिक सेवाओं हेतु ₹ 7.50 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 16

महतारी जतन योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती माताओं को गर्म भोजन प्रदाय किये जाने आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु ₹ 536.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध के सुरक्षित परिवहन एवं भण्डारण हेतु इंसुलेटेड क्रेट तथा परियोजना कार्यालय में स्टॉकबेल क्रेट प्रदाय किये जाने हेतु ₹ 372.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 18

वर्ष 2015-16 में चयनित मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों को सामग्री प्रदाय करने संबंधी व्ययगत राशि की पूर्ति हेतु ₹ 86.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 19

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि ₹ 2280.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा । इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 प्रतीक अग्रिम लिया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 20

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपयोजना मौसम आधारित फसल बीमा के क्रियान्वयन हेतु ₹ 337.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21 से 22

केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ₹ 323.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 23

योजनांतर्गत पूर्व वर्षों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों पर देय ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु ₹ 923.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 24

मॉडल स्कूलों का पी.पी.पी.मोड पर संचालन के लिए ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25 से 26

केन्द्र सरकार की LWE योजनान्तर्गत 7 आई.टी.आई. संस्था भवन एवं छात्रावास भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त ₹ 560.28 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,60,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 27

बस्तर में शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 28

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 579.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,79,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 29

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 1153.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 11,53,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 30

केन्द्रीय क्षेत्रीय वनबन्धु कल्याण योजना हेतु ₹ 1072.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 10,72,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 31

लघु सिंचाई योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) अंतर्गत राजनांदगांव जिले के मरकाटोला जलाशय योजना हेतु ₹ 100.00 लाख व्यय संभावित है । यह कार्य विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 32

सोलर पंप की स्थापना हेतु ₹ 4707.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 47,07,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 33

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जिला- जशपुर की गुतकिया से अलोरी सड़क लम्बाई 4 कि.मी. (लागत ₹ 286.00 लाख) के निर्माण कार्य हेतु ₹ 286.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।